

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्त्यागण न्यायिक कार्य स्थगित रख / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते <u>ब.ए.ए. कलिन 21/11/25</u> को पेश हो। <u>L</u>	
23/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्त्यागण न्यायिक कार्य स्थगित रख / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते <u>ब.ए.ए. कलिन 23/11/25</u> को पेश हो। <u>L</u>	
29/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्त्यागण न्यायिक कार्य स्थगित रख / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते <u>ब.ए.ए. कलिन 29/11/25</u> को पेश हो। <u>L</u>	
29/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्त्यागण न्यायिक कार्य स्थगित रख / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते <u>ब.ए.ए. कलिन 29/11/25</u> को पेश हो। <u>L</u>	
22/3/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्त्यागण न्यायिक कार्य स्थगित रख / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते <u>ब.ए.ए. कलिन 22/3/26</u> को पेश हो। <u>L</u>	
17/4/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्त्यागण न्यायिक कार्य स्थगित रख / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में पत्रावली वास्ते <u>ब.ए.ए. कलिन 17/4/26</u> को पेश हो। <u>L</u>	
8/5/26	पत्रा. पेश। वादी द्वारा धारा 88, 89 एवं 188 RT Act के तहत वद	<p style="text-align: right;"> <u>Chandrababu</u> अधिकारी            रामगंजमण्डी         </p>

पेश किया गया।  
 बादी का कथन है कि ग्राम कंबरपुरा  
 लक्ष्मील रामगंजमंडी चमरा नं. 586,  
 587 के धरतेदार धनबालाल आत्मज  
 लक्ष्मीचंद दर्ज है। उक्त आराजी पर  
 लगभग 40 वर्षों से भी पूर्व समय  
 से बादी नं. 1 के पिता व उनकी  
 मृत्यु के बाद उनके पुत्रों का कब्जा  
 काबज है। 28/05/2022 को बादीगण,  
 जब उक्त आराजी पर कार्रवाई करने  
 गए तो प्रतिवादी ने उन्हें रोक  
 दिया।

बादी द्वारा यह प्रार्थना है कि  
 प्रतिवादी के विरुद्ध अर्थाई निर्दिष्ट  
 ही जावे, इन्हें उक्त आराजी  
 का धरतेदार घोषित किया जावे।

बादी द्वारा जमाबंदी की नकल,  
 गिरदावरी व कागज पर जॉब के  
 लोगों के हस्ताक्षर किया हुआ  
 दस्तावेज पेश किया गया।

प्रतिवादी का जवाब प्राप्त नहीं  
 हुआ।

बादी adverse possession के  
 आधार पर धरतेदारी अधिकार

Che  
 सहायक जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

प्राप्त करना चाह रहे हैं जो कि  
 पौषणीय नदी है गिरवावरी के नकल  
 पर भी धन्नालाल आत्मज लक्ष्मीचंद  
 का ही नाम है।  
 धारा 188 के लिए भी पहले  
 वादी को साबित करना होगा  
 कि वह धारा 5(43) के अनुसार  
 अभिघारी है जो कि साबित नही  
 हो रहा है।

अतः साक्ष्य व दस्तावेज के आभाव  
 में वाद निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/05/2024 को  
 सुनाया गया।

पत्रावली फौजल शुमार टैकर  
 दाखिल दफ्तर है।



che  
 8/05/2024  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगंजम्पडी